20/3/24 पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि वादी उपस्थित नहीं हो रहा है। न्यायालय द्वारा कई-कई तीन बार आवाज लगवाई बावजूद इसके कोई उपस्थित नहीं हुआ। नाहि न्यायालय समय समाप्ति तक कोई उपस्थित हुआ। तहसीलदार रिपोर्ट ~~अनुपालन~~ प्राप्त होकर शा.का. है। वादी के न्यायालय समक्ष जमानत तक उपस्थित नहीं होने से यह जाहिर होता है कि वादी अपने वाद के प्रति गंभीर नहीं है तथा नही वाद चलाना चाहता है।

अतः वादीगण का वाद आदेश 9 नियम 8 के तहत अदम हाजरी - अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। निर्णय खरे इजलास सुनाया गया।

प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

[signature]

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर
(... IAS)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ria Dabi
Date: 2024.05.25 13:48:56 IST
Reason: SelfAttested